



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05122025-268273
CG-MH-E-05122025-268273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

No. 785]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 3 दिसम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/283.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (यक) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(यकक) “मूल्यांकक” (वैल्यूअर) का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 247 (समय-समय पर यथा संशोधित) में इसके लिए दिया हुआ है;”

II. विनियम 8 में,

i. उप-विनियम (2) में, खंड (ड) में,

(क) शब्दों तथा चिह्नों “जहाँ शेयर बारंबार व्यापारित नहीं होते हैं, वहाँ मूल्यांकन मापदंडों जिनमें बही मूल्य, तुल्य ट्रेडिंग मल्टीपल्स, और ऐसे अन्य मापदंडों जो ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के लिए रूढ़िगत हों पर विचार करते हुए अर्जनकर्ता तथा खुले प्रस्ताव के प्रबंधक द्वारा अवधारित की गयी कीमत” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “यदि शेयरों में ट्रेडिंग बार-बार न हो रही हो, तो ऐसे में किसी स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांकक (वैल्यूअर) द्वारा मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों [जैसे कि बही-मूल्य (बुक वैल्यू), कंपेरेबल ट्रेडिंग मल्टीपल्स और ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के लिए आम तौर पर अपनाए जाने वाले किसी दूसरे मापदंड] के आधार पर तय की गई कीमत” आ जाएँगे;

(ख) चिह्न तथा शब्द “; और” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा, और उसके बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) और खुले प्रस्ताव का प्रबंधक (मैनेजर टू ओपन ऑफर) मूल्यांकन का जो कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले अपने हाथों में ले चुका हो और जो पूरा न हुआ हो, उसे वह कार्य उपरोक्त विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा; और”

ii. उप-विनियम (4) में,

(क) शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “उस दशा में जब प्रस्ताव की कीमत उप-कीमत (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों में से किसी मापदंड के अधीन अवधारित होने के लिए असमर्थ हो, उप-विनियम (5) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रस्ताव की कीमत लक्षित कंपनी के शेयरों की उचित कीमत होगी जो अर्जनकर्ता तथा खुले प्रस्ताव के प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन मापदंडों जिनमें बही मूल्य, तुल्य ट्रेडिंग मल्टीपल्स, और ऐसे अन्य मापदंडों जो ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के लिए रूढ़िगत हों पर विचार करते हुए अवधारित की जायेगी” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “यदि उप-विनियम (3) में दिए हुए किसी भी मापदंड के अनुसार प्रस्ताव की कीमत (ऑफर प्राइस) न निकाली जा सके, तो ऐसे में प्रस्ताव की कीमत लक्षित (टार्गेट) कंपनी के शेयरों की उचित कीमत होगी और जो किसी स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांकक (वैल्यूअर) द्वारा मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों [जैसे बही-मूल्य (बुक वैल्यू), कंपेरेबल ट्रेडिंग मल्टीपल्स और ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन के लिए आम तौर पर अपनाए जाने वाले किसी दूसरे मापदंड] के आधार पर निकाली जाएगी, हालाँकि उप-विनियम (5) में दी हुई अपेक्षाओं का पालन तो करना ही होगा” आ जाएँगे;

(ख) चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) और खुले प्रस्ताव का प्रबंधक (मैनेजर टू ओपन ऑफर) मूल्यांकन का जो कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले अपने हाथों में ले चुका हो और जो पूरा न हुआ हो, उसे वह कार्य उपरोक्त विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।”

iii. मौजूदा उप-विनियम (16) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम और परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-

“(16) उप-विनियम (2) के खंड (ड) और उप-विनियम (4) के प्रयोजनार्थ, बोर्ड, किसी स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांकक (वैल्यूअर) से शेयरों का मूल्यांकन करवाने के लिए कह सकेगा, जिसके लिए होने वाला खर्च अर्जनकर्ता (एक्वायरर) को उठाना होगा:

परंतु यह कि स्वतंत्र मर्चेन्ट बैंकर [खुले प्रस्ताव के प्रबंधक (मैनेजर टू ओपन ऑफर) को छोड़कर] या स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट मूल्यांकन का जो कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले अपने हाथों में ले चुका हो और जो पूरा न हुआ हो, उसे वह कार्य उपरोक्त विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।”

III. विनियम 9 में, उप-विनियम (5) में, खंड (ग) में,

क) शब्दों और चिह्नों “सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्ववर्ती साठ व्यापारिक दिवसों की अवधि हेतु मात्रा-भारित औसत बाजार कीमत, जो उस स्टॉक एक्सचेंज में व्यापारित हो जहाँ उस कंपनी के शेयरों में, जिसकी प्रतिभूतियों का प्रस्ताव प्रतिफल के रूप में किया जा रहा है, व्यापार की अधिकतम मात्रा, सुसंगत तारीख से पूर्व की छह महीने की अवधि के दौरान दर्ज होती है और शेयरों के विनियम का अनुपात स्वतंत्र मर्चेन्ट बैंकर (खुले प्रस्ताव के प्रबंधक से भिन्न) या स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव हो द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पहले के ट्रेडिंग के साठ दिनों की वैल्यू-वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस (मात्रा-भारित औसत बाजार कीमत), जो उस स्टॉक एक्सचेंज में हुई ट्रेडिंग के आधार पर निकाला जाएगा जहाँ संबंधित (सुसंगत) तारीख से छह महीने पहले की अवधि के दौरान कंपनी [जिसके शेयरों (जिसकी प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) की पेशकश कन्सिडरेशन (प्रतिफल) के तौर पर की जा रही हो] के शेयरों में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई हो, और एक स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांकक द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि बदले में किस हिसाब से शेयर दिए जा रहे हैं” आ जाएंगे।

ख) उसके बाद स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि स्वतंत्र मर्चेन्ट बैंकर [खुले प्रस्ताव के प्रबंधक (मैनेजर टू ओपन ऑफर) को छोड़कर] या स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट मूल्यांकन का जो कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों

का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले अपने हाथों में ले चुका हो और जो पूरा न हुआ हो, उसे वह कार्य उपरोक्त विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।”

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./521/2025-26]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, द्वारा 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 तत्पश्चात् :
 - क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा
 - ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
 - ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा
 - ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी.एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा
 - च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा
 - छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा
 - ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा
 - झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा
 - ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा

- ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा
- ठ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/20, द्वारा
- ड) 11 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/33, द्वारा
- ढ) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/55, द्वारा
- ण) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/06, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/27, द्वारा
- थ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- द) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/14, द्वारा
- ध) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/19, द्वारा
- न) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/20, द्वारा
- प) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/19, द्वारा
- फ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- ब) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/46, द्वारा
- भ) 6 दिसम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/60, द्वारा
- म) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/98, द्वारा
- य) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

कक) 18 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/179, द्वारा

खख) 28 नवम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024, फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/283.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, –

- I. In regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (za), the following clause shall be inserted, namely,–

“(zaa) “valuer” shall have the same meaning as assigned to it under section 247 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as amended from time to time;”

- II. In regulation 8,

- i. in sub-regulation (2), in clause (e),

- (a) the words “the acquirer and the manager to the open offer” shall be substituted with the words “an independent registered valuer”;
- (b) the word and symbol “; and” shall be substituted with the symbol “:.”, and thereafter the following proviso shall be inserted:

“Provided that the acquirer and the manager to the open offer shall complete the ongoing valuation assignment which has been undertaken prior to the coming into force of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2025 within a period of nine months from the date of coming into force of the said regulations; and”

- ii. in sub-regulation (4),

- (a) the words “the acquirer and the manager to the open offer” shall be substituted with the words “an independent registered valuer”;
- (b) the symbol “:.” shall be substituted with the symbol “:.”, and thereafter the following proviso shall be inserted:

“Provided that the acquirer and the manager to the open offer shall complete the ongoing valuation assignment which has been undertaken prior to the coming into force of the Securities and Exchange

Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2025 within a period of nine months from the date of coming into force of the said regulations.”

- iii. the existing sub-regulation (16) shall be substituted with the following sub-regulation and proviso, namely,-

“(16) For purposes of clause (e) of sub-regulation (2) and sub-regulation (4), the Board may, at the expense of the acquirer, require valuation of the shares by an independent registered valuer:

Provided that the independent merchant banker other than the manager to the open offer or the independent chartered accountant shall complete the ongoing valuation assignment which has been undertaken prior to the coming into force of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2025 within a period of nine months from the date of coming into force of the said regulations.”

- III. In regulation 9, in sub-regulation (5), in clause (c),

- a) the words and symbols “merchant banker (other than the manager to the open offer) or an independent chartered accountant having a minimum experience of ten years.” shall be substituted with the words and symbol “registered valuer.”;

- b) thereafter the following proviso shall be inserted before the Explanation:

“Provided that the independent merchant banker (other than the manager to the open offer) or the independent chartered accountant shall complete the ongoing valuation assignment which has been undertaken prior to the coming into force of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2025 within a period of nine months from the date of coming into force of the said regulations.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./521/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011/12/24/30181.
2. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 was amended on-
 - a) March 26, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/201213/36/7368.
 - b) October 8, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
 - c) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - d) March 24, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.
 - e) May 5, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004
 - f) August 14, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD NRO/GN/2015-16/009.
 - g) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026
 - h) February 17, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.

- i) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.
- j) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- k) August 14, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015
- l) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20.
- m) September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/33.
- n) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2018/55.
- o) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/06.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/27.
- q) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- r) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/14.
- s) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/19.
- t) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/20.
- u) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/19.
- v) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- w) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/46.
- x) December 6, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/60.
- y) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/98.
- z) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- aa) May 18, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. LAD-NRO/GN/2024/179.
- bb) November 28, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. LAD-NRO/GN/2024/212.